(To be published in Part IV of the Delhi Gazette, Extra Ordinary)

Government of National Capital Territory of Delhi
Department of urban Development
9th floor, C-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi-110002

NO.F.7(55)/DLB/2015/Pt-I/4276-82 **Dated:** 18/09/2015

ORDER

NO.F.7(55)/DLB/2015/Pt-I/ WHEREAS in pursuance of the provisions of sub-section (6) of section 3 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (hereinafter called the said 'Act'.) upon the completion of each census, the number of seats in each of the three Municipal Corporations of Delhi, shall be on the basis of the population of a Corporation as ascertained at that census and shall be determined by the Lt. Governor of Delhi vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F.3/6/66-Delhi dated 19.10.1966 and the number of seats to be reserved for the members of the Scheduled Castes shall, as nearly as may be, bear the same ratio to the total number of seats as the population of Scheduled Castes bears to the total population of Delhi in a Corporation;

AND WHEREAS under sub-section (5) of section 3 of the Act, total number of seats of Councillors and the number of seats reserved for the members of Scheduled Castes in each Corporation shall be determined by the State Election Commission (herein called the Commission) under the powers delegated to it by the Government of Delhi vide Department of Urban Development's Notification No.F.13(20)/UD/MB/2012/1103 dated 24.1.2012;

AND WHEREAS under sub-section (7) of section 3 of the Act, seats shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes, in each of the three Municipal Corporations from among the seats reserved for the Scheduled Castes, the number of such seats shall be determined by the Commission under the powers delegated to it as mentioned above, which shall not be less than one-half of the total number of seats reserved for the Scheduled Castes in a Corporation;

AND WHEREAS under sub-section (8) of section 3 of the Act, seats shall be reserved for women by the Commission under the powers delegated to it as mentioned above , in each of the three Municipal Corporations which shall not be less than the one-half of total number of seats other than those reserved for the Scheduled Castes in a Corporation;

AND WHEREAS Municipal Corporation of North Delhi has 104 seats, Municipal Corporation of South Delhi has 104 seats and Municipal Corporation of East Delhi, has 64 seats of the Councillors in pursuance of THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2011;

AND WHEREAS boundary of a ward in a Corporation should be carved within the boundary of the relevant Member of Legislative Assembly constituency and shall not cross it;

AND WHEREAS the Census 2011 has since been completed and final population data and the maps required for delimitation of Municipal Corporations Wards are available with the Director of Census Operations, Delhi,

AND WHEREAS it is necessary to take account of the changed situation of population within the wards based on the available Census data and decide the principles on which the number of wards would be decided.

NOW, THEREFORE, the Lt. Governor of Delhi, assigns the work of delimitation of wards for all the three Municipal Corporations of Delhi, as prescribed in sub-sections (5), (6), (7) and (8) of section 3 read with clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of section 5 of the Act, to be done on the basis of Census 2011, to the State Election Commission with immediate effect, with the following directions:-

1. That for delimitation of Municipal Corporations Wards, the Commission shall adopt the procedure prescribed under the Delimitation Act, 2002 (pertaining to delimitation of Parliamentary and Assembly constituencies in whole of the country), as far as practicable in relation to the delimitation of wards of a Corporation under the Act.

2. That the Commission shall have the powers to call for population data as per census 2011, Census maps, Census details of E.Bs (Enumeration Blocks) with figures of total population and S.C. population and other allied datas and maps required for the above purpose, from the Director of Census Operations Delhi, GEOSPATIAL Delhi , and other such authorities, and these authorities shall supply the requisite population data and maps to the Commission and cooperate with the Commission to enable it to accomplish the above work within the stipulated period.

3. That the Commission shall first prepare DRAFT DELIMITATION ORDER FOR ALL THE THREE MUNICIPAL CORPORATIONS, showing the number and extent of wards in each Corporation, maps of each ward indicating clear boundaries on the North, West, East and South of a ward in each of the three Corporations.

4. The Commission shall give the matter wide publicity through press media etc. for inviting objections and suggestions to/for the Draft Order, for disposal of objections and suggestions and to prepare the final Delimitation Order as required in the Act. The final proposal shall be sent to the Government for consideration, approval and publication in Delhi Gazette.

5. After the publication of the Delimitation Order in the Gazette, if any question arises as to the interpretation of the Order, as to the boundary or extent of the boundary, the matter shall be referred to the Commission who shall enquire into the issue and decide the matter.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(D.S. Verma)
Dy. Secretary (Urban Development Department)
Govt. of NCT of Delhi

NO.F.7(55)/DLB/2015/Pt-I/4276-82 Dated: 18/09/2015

Copy forwarded, for information and necessary action, to:-

1. The Chief Secretary, Delhi Government, Delhi Schivalya, New Delhi.
2. The Secretary, State Election Commission, Delhi & Chandigarh.
3. The Principal Secretary (UD), Delhi Government, Delhi Sachivalya
4. The Director of Census Operations, NCT of Delhi Pushpa Bhawan, near Madangir, New Delhi.
5. GEOSPATIAL Delhi Ltd., 3rd level "C" Wing, Vikas Bhawan 2, Delhi-110054
6. The Secretary to the Legislative Assembly, Delhi
7. The Commissioners of all the three Municipal Corporations of Delhi

(D.S. Verma)
Dy. Secretary (Urban Development Department)
Govt. of NCT of Delhi

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(शहरी विकास विभाग)
10वां तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली.

फा.सं. 07 (55)/डीएलबी/2015/पार्ट–1/4276-82 दिनांकः– 18/09/2015

आदेश

फा.सं. 07 (55)/डीएलबी/2015/पार्ट–1/ .– जबकि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 3 की उप धारा (6) के प्रावधानों के अनुसरण में, (इसके पश्चात् उक्त "अधिनियम" कहलाएगा) प्रत्येक जनगणना के समापन पर, दिल्ली के तीनों नगर निगमों में सीटों की संख्या जनगणना में अभी निश्चितानुसार निगम की जनसंख्या के आधार पर होगी और गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19.10.1966 की अधिसूचना सं0 एफ 3/6/66–दिल्ली के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएंगी और अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निगम में दिल्ली की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुरूप सीटों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा;

और जबकि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अंतर्गत पार्षदों की सीटों की कुल संख्या और प्रत्येक निगम में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का निर्धारण दिल्ली सरकार के दिनांक 24.1.2012 के शहरी विकास विभाग की अधिसूचना सं0 एफ 13(20)/यूडी/एमबी/2012/1103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग (बाद में यह आयोग कहलाएगा) द्वारा किया जाएगा;

और जबकि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में से तीनों नगर निगमों में अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी, आयोग द्वारा ऐसी सीटों की संख्या का निर्धारण उपरोक्त उल्लिखित के अनुसार प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत किया जाएगा, जोकि निगम में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का आधे से कम नहीं होगा;

और जबकि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (8) के अंतर्गत, आयोग द्वारा उपरोक्त उल्लिखित के अनुसार प्रदत्त शक्तियों के तहत तीनों नगर निगमों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी, जोकि निगम में अनुसूचित जाति के लिए उन आरक्षित सीटों की कुल संख्या का आधे से कम नहीं होगी;

और जबकि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुपालन में उत्तर दिल्ली के नगर निगम में 104 सीटें, दक्षिण दिल्ली के नगर निगम में 104 सीटें तथा पूर्वी दिल्ली के नगर निगम में पार्षदों की 64 सीटें हैं;

और जबकि निगम में वार्ड की सीमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के संगत सदस्य की कर्व सीमा के अंतर्गत होगी और उसे पार नहीं करेगा;

और जबकि जनगणना, 2011 पूरी हो चुकी है और नगर निगम वार्ड के परिसीमन के लिए निदेशक जनगणना ऑपरेशन, दिल्ली के पास अंतिम जनसंख्या डेटा तथा अपेक्षित मानचित्र उपलब्ध है;

और जबकि उपलब्ध जनगणना डेटा पर आधारित वार्ड के अंतर्गत जनसंख्या की परिवर्तित स्थिति का हिसाब रखना आवश्यक है और उद्देश्यों का निर्धारण करना है जिसपर वार्ड की संख्या निर्धारित होगी।

अतः अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने तीनों नगर निगमों के लिए वार्ड के परिसीमन का कार्य प्रारंभ किया है जैसाकि अधिनियम की धारा 5 के खंड (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (5), (6), (7) एवं (8) में यथानिर्धारित है और इसे और तत्काल प्रभाव से निम्न निर्देशों के साथ राज्य चुनाव आयोग के जनगणना 2011 के आधार पर किया जाए :–

1. नगर निगम वार्डों के परिसीमन के लिए आयोग परिसीमन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया अपनाएगा (संपूर्ण देश में संसदीय एवं विधानसभा निर्वा क्षेत्र में परिसीमन के संबंध में), अधिनियम के अंतर्गत निगम के वार्डों के परिसीमन के संबंध में जहां तक यथा व्यवहारिक हो।

2. आयोग को यह अधिकार है कि वह उपरोक्त उद्देश्य के लिए निदेशक जनगणना ऑपरेशन दिल्ली, जियोस्पाटियल दिल्ली तथा अन्य प्राधिकार से जनगणना, 2011 के अनुसार जनसंख्या डेटा, जनगणना मानचित्र, कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति जनसंख्या के आंकड़ों के साथ ई0 बी0 (गणना ब्लॉक्स) के जनगणना विवरण तथा अन्य संबंधित डेटा तथा अपेक्षित मानचित्र मांग सकता है और ये प्राधिकार आयोग को अपेक्षित जनसंख्या डेटा तथा मानचित्र की आपूर्ति करेंगे और आयोग को सहयोग करेंगे ताकि उक्त कार्य निर्धारित समय में पूरा किया जा सके।

3. आयोग पहले तीनों नगर निगमों के लिए परिसीमन आदेश का प्रारूप तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक निगम में वार्डों की संख्या तथा विस्तार दर्शाया जाएगा, तीनों निगमों के प्रत्येक वार्ड के उत्तर, पश्चिम, पूर्व तथा दक्षिण में स्पष्ट सीमा का प्रत्येक वार्ड के मानचित्र में दर्शाया जाएगा।

4. आयोग प्रेस, मीडिया इत्यादि के माध्यम से मामले का व्यापक प्रचार करेगा ताकि टिप्पणी एवं सुझाव के निपटान के लिए प्रारूप आदेश के लिए आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए जा सकें और अधिनियम में यथा अपेक्षित अंतिम परिसीमन आदेश तैयार किया जा सके। अंतिम प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ, अनुमोदन एवं दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा जाएगा।

5. राजपत्र में परिसीमन आदेश के प्रकाशन के बाद आदेश की व्याख्या जैसे सीमा या सीमा का विस्तार के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो मामले को आयोग के पास भेजा जाएगा जो मामले की जाँच करेगा और मामले में निर्णय लेगा।

आदेश से,उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(डी एस वर्मा)
उप सचिव (शहरी विकास)

फा.सं. 07 (55)/डीएलबी/2015/पार्ट–1/4276–82 दिनांकः– 18/09/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. मुख्य सचिचव, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
2. सचिव, राज्य चुनाव आयोग, दिल्ली एवं चण्डीगढ़।
3. प्रधान चिव (शहरी विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय।
4. निदेशक, जनगणना ऑपरेशन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुष्पा भवन, समीप मदनगीर, नई दिल्ली।
5. जियोस्पाटियल दिल्ली लिमिटेड, तीसरा तल, सी–विंग, विकास भवन–2, दिल्ली–54.
6. सचिव, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली।
7. आयुक्त, समस्त तीन दिल्ली नगर निगम ।

(डी एस वर्मा)
उप सचिव (श0वि0)